न्यायालय श्री पुरूषोत्तम शर्मा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

अपील संख्या : 09/2016

1. श्रीमती लाली देवी पत्नी स्व0 श्री भूराराम, जाति–बलाई, निवासी–ग्राम गोकुलपुरा, पंचायत परवण, तहसील–फागी, उप तहसील–माधोराजपुरा, जिला–जयपुर (मृतक)
2. राधाकृष्ण पुत्र स्व0 श्री भूराराम, उम्र–55 वर्ष, जाति–बलाई, नि0–ग्राम गोकुलपुरा, पंचायत परवण, तहसील–फागी, उपतहसील–माधोराजपुरा, जिला– जयपुर।
3. कानाराम पुत्र स्व0 श्री भूराराम, जाति–बलाई, उम्र–53 वर्ष, नि0–ग्राम गोकुलपुरा, पंचायत परवण, तहसील–फागी, उप तहसील–माधोराजपुरा, जिला–जयपुर।
4. गोपाल पुत्र स्व0 श्री भूराराम, जाति–बलाई, उम्र–45 वर्ष, नि0–ग्राम गोकुलपुरा, पंचायत परवण, तहसील–फागी, उप तहसील–माधोराजपुरा, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. रंगलाल पुत्र छीतर, जाति–जाट, निवासी–ग्राम किशोरपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर (मृतक)।
2. सूवालाल पुत्र स्व0 श्री रंगलाल, जाति–जाट, निवासी–ग्राम किशोरपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
3. रामदेव पुत्र स्व0 श्री रंगलाल, जाति–जाट, निवासी–ग्राम किशोरपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
4. ज्याना देवी पत्नी स्व0 श्री रंगलाल, जाति–जाट, निवासी–ग्राम किशोरपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
5. तहसीलदार, फागी, जिला–जयपुर।
6. उप–पंजीयक, फागी, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

(प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 485 दिनांक 05.10.2015
ग्राम–गोकुलपुरा)

उपस्थित–
1. श्री एस. एस. ओला, अभिभाषक, अपीलान्टस् की ओर से।
2. श्री हनुमान प्रसाद चौधरी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 लगा0 4 की ओर से।
3. पेरोकार सरकार।

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक : 14.08.2019

सरपंच, ग्राम पंचायत–परवण ने ग्राम परवण की आराजी के खातेदार रंगलाल पुत्र श्री छीतर, जाति–जाट, निवासी–किशोरपुरा की फौती पर विरासत का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 4 के नाम स्वीकार किया है, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ है।

उक्त आशय का अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराया जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट्स जारी किये गये व मिसल मातहत तलब की गई।

अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक श्री एस. एस. ओला का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत अपीलान्ट को बिना सुनवाई साक्ष्य का मौका दिये बाला–बाला पारित की गई है, जबकि वादग्रस्त आराजी के संबंध में अपीलान्ट्स के द्वारा दिनांक 02.11.2010 को सक्षम न्यायालय उप–खण्ड अधिकारी, फागी में एक वाद बाबत् इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया हुआ था और इसके साथ ही अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था जिस पर नियमानुसार सुनवाई की जाकर दिनांक 3.11.2010 को वादग्रस्त आराजी के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने हेतु रेस्पोडेन्ट्स को पावन्द किया गया था। वादग्रस्त आराजी के संबंध में स्थगन आज्ञा होने के बावजूद विरासत का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट्स ने स्थगन के अहम तथ्य को छिपाकर बाला–बाला बिना किसी तथ्यों एवं मौके की जांच किये ही एकपक्षीय नियमों के विरूद्ध नामान्तरकरण तस्दीक किया है जो अवैध होने से निरस्तनीय है। अपीलाधीन आज्ञा की जो प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त हुई है, उसमें नामान्तरकरण तस्दीकर्ता के पदनाम की मोहर साफ अंकित नही होने से ही सहवन से तहसीलदार द्वारा स्वीकृत मानकर इस न्यायालय में अपील पेश की गई है। इस न्यायालय में अपील पेश करने में अपीलान्ट की न तो कोई लापरवाही रही है और न ही किसी प्रकार की बदनियती रही है। महज पदनाम की मोहर स्पष्ट अंकित नही होने से ही तहसीलदार, फागी के आदेशों की अपील सुनने का इस न्यायालय को श्रवण क्षेत्राधिकार होने से इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार/सरपंच की शक्तियां विचारण प्रकरण में समवर्ती हैं। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त होने पर मूल पत्रावली का अवलोकन करने पर ही जानकारी में आया है कि अपीलाधीन आज्ञा सरपंच द्वारा तस्दीक की गई है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की मूल पत्रावली अग्रिम विचारण एवं निस्तारण हेतु उप

Scanned by CamScanner

खण्ड अधिकारी, फागी को भिजवाई जावें अथवा संबंधित न्यायालय में पेश किये जाने हेतु मूल पत्रावली अपीलान्ट को लौटाए जाने के आदेश फरमायें जावें।

रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 4 के विद्वान् अभिभाषक श्री हनुमान प्रसाद चौधरी का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप विधि–सम्मत रूप से पारित की गई है। खातेदार रंगलाल जाट की मृत्यु के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा जांच कर कौरम के समक्ष विधि–सम्मत तरीके से मृतक के वारिसान के हक में खोला जाकर स्वीकार किया गया है। स्थगन आज्ञा अधीनस्थ न्यायालय के कोई जानकारी में नहीं है। अपीलान्ट्स चुनौती–अधीन नामान्तरकरण में पक्षकार ही नहीं थे। अपील अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। धारा 5 का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही धारा 96 का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में अपीलान्ट् द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया हुआ है और यदि अपीलान्ट् के कोई हक–हकूक होंगे तो वह नियमित वाद में ही तय होंगे और नियमित वाद के निर्णय अनुसार ही तत्समय नामान्तरकरण की कार्यवाही होगी। विरासत के नामान्तरकरण को कीप इन अवेन्स् नहीं किया जा सकता है। अपीलाधीन आज्ञा को तहसीलदार, फागी ने स्वीकृत नही किया है बल्कि सरपंच, ग्राम पंचायत परवण द्वारा विधिवत् स्वीकार किया है। सरपंच की आज्ञा के विरूद्ध उप–खण्ड अधिकारी को ही अपील सुनने का क्षेत्राधिकार है। सरपंच, ग्राम पंचायत परवण द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण की अपील उप–खण्ड अधिकारी, फागी में ही की जा सकती है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 04.09.1982 द्वारा सरपंच द्वारा तस्दीक किये नामान्तरकरण की अपील सुनने के अधिकार उप–खण्ड अधिकारी को दिये गये है। अतः सरपंच द्वारा स्वीकार किये गये नामान्तरकरण को अपील सुनने का श्रवण क्षेत्राधिकार विचारण न्यायालय में नही होने से अपील खारिज फरमायी जावें।

विद्वान पेरोकार सरकार का कथन है कि नामान्तरकरण सरपंच द्वारा तस्दीक किया गया है अतः इस न्यायालय को श्रवण क्षेत्राधिकार नहीं होने से अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। उपरोक्त बहस रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 4 के विद्वान् अभिभाषक श्री हनुमान प्रसाद चौधरी ने कथन किया है कि सरपंच, ग्राम पंचायत परवण द्वारा स्वीकार किये गये नामान्तरकरण की अपील का श्रवण क्षेत्राधिकार विचारण न्यायालय को नही है बल्कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 04.09.1982 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार उप–खण्ड अधिकारी,

Scanned by CamScanner

फागी को है। वरवक्त बहस अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक श्री एस. एस. ओला ने भी स्वीकार किया है कि सरपंच, ग्राम पचांयत परवण द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण की अपील का श्रवण क्षेत्राधिकार, उप–खण्ड अधिकारी, फागी को है। अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आज्ञा की ली गई प्रमाणित प्रति में पदनाम की मोहर साफ/स्पष्ट न होने से तहसीलदार की आज्ञा समझते हुए इस न्यायालय में अपील की है और सक्षम न्यायालय उप–खण्ड अधिकारी, फागी में भिजवाने अथवा न्यायालय उप–खण्ड अधिकारी, फागी में प्रस्तुत करने हेतु अपील लौटाये जाने का कथन किया है। उक्त विवेचनानुसार प्रकरण के तथ्यों के गुणावगुण पर बिना गौर किये हम यह न्यायोचित पाते है कि अपील अग्रिम विचारण हेतु सक्षम न्यायालय उप–खण्ड अधिकारी, फागी में प्रस्तुत करने हेतु अपील अपीलान्ट को लौटा दी जावें। अतः इस न्यायालय को श्रवण क्षेत्राधिकार नही होने से अपील श्रवण क्षेत्राधिकार न होने के आधार पर अपील प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है और सक्षम न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, फागी के न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु अपीलान्ट को लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुरूषोत्तम शर्मा)

Scanned by CamScanner